[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 53/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2018

सा0का0नि0.......(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये 23 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्तूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

> ''(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 48/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ),

तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ।''।

[फा0 सं0 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट.)]

(डा0 श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा, जो सा0का0नि0 सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित किए गए थे और सा0का0नि0. 867(अ), तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 49/2018-केंद्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।